नगर निगम, आगरा।

नियम व शर्तें

नगर निगम आगरा सीमान्तर्गत जी0आई0सी0 मैदान पार्किंग स्थल/स्टैण्ड का ठेका अल्कालिक अवधि दिनांक 28.10.2021 से 4-11-2021 तक के लिए शर्तें निम्न प्रकार है :-

1. यह है कि ठेके/लाइसेंस की अवधि दिनांक 28.10.2021 से दिनांक 4.11.2021 तक के लिये होगी।
2. यह है कि निविदादाता को निविदा प्रपत्र की निर्धारित धनराशि रु. 500/- (रुपया पाँच सौ मात्र) एवं ठेके/लाइसेंस के लिए निविदा के साथ निर्धारित जमानत धनराशि रु. 10.00 हजार की एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैकर्स चैक जमा करना अनिवार्य होगा। नगद धनराशि मान्य नहीं होगी।
3. प्रत्येक निविदादाता को अपनी निविदा के साथ जिलाधिकारी कार्यालय से जारी किया गया छः महीने से कम पुराना निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण, पेन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रपत्र अपलोड न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को ऑफलाइन निविदा फार्म को पूर्णतः भरा जाना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता द्वारा एफ.डी.आर./एन.एस.सी./बैकर्स चैक के माध्यम से जमा की गयी जमा धनराशि में तीन उच्चतम निविदादाताओं की धनराशि को रोकते हुए शेष निविदादाताओं की धनराशि ही वापस की जायेगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त अवशेष निविदादाताओं की जमानत धनराशि वापस की जायेगी।
6. यह ठेका/लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिये उठाया जा रहा है। ठेकेदार जो रेट देंगे वह दिनांक 28.10.2021 से 4.11.2021 तक ही मान्य होंगे। ठेकेदार को ठेका स्वीकृत के तत्काल सम्पूर्ण धनराशि नगर निगम कोष में जमा करनी होगी। सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर द्वितीय निविदादाता को ऑफर कर दिया जायेगा।
7. यह कि पार्किग स्थल के ठेकेदार को पार्किग ठेके की धनराशि पर 2.1 प्रतिशत की दर से आयकर अतिरिक्त देना होगा।
8. यह कि स्टैण्ड पर जो वाहन रखेगा उसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उपरोक्त वाहन की चोरी होने पर ठेकेदार वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति करेगा। विवाद में नगर आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।
9. ठेकेदार उन्ही दरों पर साईकिल/मोटरसाईकिल/स्कूटर/कार आदि रखेगा जिन्हे नगर आयुक्त महोदय व उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी निर्धारित करेंगे। ठेकेदार निर्धारित दरों से अधिक किसी व्यक्ति से पैसा नहीं लेगा। आवश्यकता पड़ने पर नगर आयुक्त महोदय को दरें परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

10. नगर आयुक्त महोदय को बिना कारण बताये तत्काल नोटिस देकर ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा और ऐसी दशा में ठेकेदार को अनुमानित धनराशि वापिस कर दी जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को टोकन/पर्ची वाहन संख्या अंकित कर देनी होगी और टोकन/पर्ची वापिस आने पर ही वाहन वापिस करेगा।
12. ठेकेदार और वाहन स्वामी में कोई विवाद होता है तो नगर आयुक्त महोदय का निर्णय मान्य होगा।
13. ठेका स्थल पर ठेकेदार को किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा।
14. ठेकेदार को निम्न दरों को अंकित करने हुए ठेका स्थल पर स्वयं के खर्चे से एक बोर्ड लगायेगा और दरों को अंकित करते हुए कूपन की व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी। तद्नुसार वाहन स्वामी से वाहन शुल्क वसूली करेगा।
15. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी वाहन से उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक वसूली आदि करने या शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर आयुक्त महोदय को ठेका निरस्त करने का तथा समस्त धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।
16. वाहन शुल्क की दरें निम्न प्रकार हैं :-

क्र.	वाहन का प्रकार	पार्किंग शुल्क
1	बस	रू0 100/- प्रति दिन
2	ट्रक, मिनी ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर ट्राली	रु0 50/- प्रति दिन
3	कार, जीप, टैम्पो, टैक्सी	रु0 20/- प्रति दिन
4	थ्री-व्हीलर/ऑटोरिक्शा/बैटरी चलित रिक्शा,	रु0 20/- प्रति दिन
5	स्कूटर/मोटरसाईकिल/रिक्शा	रु0 10/- प्रति दिन
6	साईकिल	रु0 05/- प्रति दिन

17. ठेकेदार अपने अधिकार को किसी भी परिस्थिति में हस्तान्तरित नहीं करेगा। ऐसा करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
18. ठेकेदार वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करायेगा, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
19. पार्किंग स्थल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी होगी।
20. पार्किंग स्थल पर प्रतिदिन झाडू लगाने के साथ-साथ पानी का छिड़काव का कार्य होना चाहिए।
21. पार्किंग स्थल पर हर समय फर्स्ट-एड बॉक्स का रखा होना अनिवार्य होगा।